सी.पी.डी.ए दिशानिर्देशन

छठे सीपीसी और भारत सरकार की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु एनआईटी और आईआईईएसटी शिबपुर में संचयी व्यावसायिक विकास भत्ता (सीपीडीए) के उपयोग के लिए संशोधित मानदंड/दिशानिर्देश

ब्लॉक अवधि: क. ब्लॉक अवधि तीन वर्ष है।

ख. एक वित्तीय वर्ष को एक वर्ष माना जाएगा।

अनुदान आवंटन: क. तीन साल की ब्लॉक अवधि के लिए रु. 3.00 लाख।

ख. यदि कोई संकाय सदस्य ब्लॉक अवधि के बीच संस्थान में शामिल होता है या संस्थान की सेवा से सेवानिवृत्त होता है, तो वह आनुपातिक आधार पर इस भत्ते का हकदार होगा।

संचयी व्यावसायिक विकास भत्ता (सीपीडीए) के तहत गतिविधियों की सूची और व्यय वहन करने के मानदंड:

क. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र प्रस्तुति/कार्यशालाओं में भाग लेना:

- भारत में और विदेशों में राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र /पोस्टर प्रस्तुति एवं कार्यशालाओं / संगोष्ठियों / विशेष प्रशिक्षण में भाग लेना।

ख. व्यावसायिक निकायों के लिए सदस्यता शुल्क:

- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यावसायिक निकायों/सोसाइटियों की सदस्यता प्राप्त करना। एक ब्लॉक अवधि में सीपीडीए अनुदान से अधिकतम तीन पेशेवर निकायों/सोसाइटियों की सदस्यता।

ग. आकस्मिक व्यय

- उपभोग्य वस्तुएं जैसे रसायन, प्रयोगशाला कांच के बर्तन, अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए नमूनों के संश्लेषण और विश्लेषण के लिए शुल्क।
- स्टेशनरी, किताबें और संबंधित वस्तुओं की खरीद।
- कंप्यूटर से संबंधित उपभोग्य वस्तुएं |

घ. अन्य व्यय

- (शीर्ष **ख** और **ग** के संचयी शेष निधि के बदले हेतु) एचओडी की सिफारिश और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के उपरांत । व्यय की यह मद अनुसंधान उद्देश्य/गतिविधियों से संबंधित होगी।

दिशा-निर्देश

1. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/कार्यशाला/संगोष्ठी/विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पूर्वानुमति की आवश्यकता जरुरी है।
2. आम तौर पर, भागीदारी चयनित गुणवत्ता वाले आयोजनों तक ही सीमित होनी चाहिए और स्क्रीनिंग समिति यह सुनिश्चित करेगी कि आयोजन में भागीदारी संस्थान के लिए फायदेमंद होगी।
3. संस्थान के बाहर का दौरा केवल छुट्टियों की अवधि तक ही सीमित रहेगा।
4. संकाय सदस्यों के लिए यह अनिवार्य है कि वे किसी भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने से पहले विभाग में एक प्रस्तुति आयोजित करें।
5. कार्यक्रम के बाद विभाग में एक प्रस्तुति देनी होगी और खाता निपटान के लिए बिल के साथ एक रिपोर्ट जमा करनी होगी।
6. संस्थान के मानदंड टीए/डीए के लिए लागू होंगे। राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/ अनुसंधान इंटरेक्शन में भाग लेने और दौरे के लिए श्रेणी '**क**' के तहत सभी मदों जैसे टीए/डीए, पंजीकरण शुल्क, वीज़ा शुल्क आदि के लिए कुल व्यय तीन साल की अवधि के लिए अनुसंधान सीपीडीए का अधिकतम 70% (यानी, 2.1 लाख रुपये) तक होगा।
7. जो संकाय सदस्य प्रतिनियुक्ति/क्यूआईपी/छुट्टी (30 दिनों से अधिक) पर हैं, वे संस्थान से अनुपस्थिति के दौरान सीपीडीए निधि के तहत प्रतिपूर्ति का दावा करने के हकदार नहीं हैं।
8. निदेशक सभी संकायों को सीपीडीए के तहत स्वीकृत बजट का प्रभावी तरीके से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निर्देशित करेगें ताकि उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ावा दिया जा सके।
9. सभी नियमित संकाय सदस्य जिन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है, अनुदान के लिए पात्र होंगे। यदि कोई संकाय सदस्य एक ब्लॉक अवधि के बीच संस्थान में शामिल होता है या संस्थान की सेवा से सेवानिवृत्त होता है या संस्थान छोड़ता है (इस्तीफा या प्रतिनियुक्ति या कोई अन्य कारण), तो संकाय सदस्य आनुपातिक आधार पर इस भत्ते का हकदार होगा।
10. स्वीकृत राशि प्रतिपूर्ति योग्य आधार पर दी जाएगी।
11. एक ब्लॉक अवधि में स्वीकृत राशि का केवल एक तिहाई हिस्सा 3 साल की ब्लॉक अवधि के हर वर्ष के दौरान उपलब्ध कराया जाएगा। किसी भी अप्रयुक्त राशि को अगले वर्ष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और शेष राशि को तीसरे वर्ष के दौरान स्वीकृत किया जाएगा।
12. ब्लॉक अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए अलग रखी गई राशि का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
13. ब्लॉक अवधि के दौरान प्राप्त वास्तविक राशि सभी पात्र संकाय सदस्यों के लिए समान रूप से निर्धारित की जाएगी।
14. इस अनुदान के तहत किसी भी व्यय के लिए पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा।
15. एक सी.पी.डी.ए समिति और एचओडी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत आवेदनों की जांच करेंगे कि सम्मेलन टियर 1 स्तर का है, प्रस्तुत पेपर संबंधित संस्थान में किए गए कार्यों से संबंधित है और किए गए दावे क्रम में हैं। संस्थान किसी बाहरी सदस्य को सहयोजित कर सकता है।
16. स्वीकार्य व्यय में भारत सरकार के मौजूदा नियमानुसार सबसे छोटे मार्ग से इकोनॉमी क्लास द्वारा वास्तविक यात्रा होगी।

17. सम्मेलनों में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा सख्ती से सम्मेलन की अवधि तक ही सीमित होगी और छुट्टियों की अवधि के दौरान स्वीकृत किया जाएगा ताकि शिक्षण प्रभावित न हो।
18. यदि संकाय सदस्य किसी भी कारण से सम्मेलन में भाग लेने में विफल रहता है, तो भुगतान किए गए पंजीकरण शुल्क सहित सम्मेलन में भाग लेने के लिए किए गए किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
19. सम्मेलन में भाग लेने/विभिन्न श्रेणियों के तहत किए गए व्यय का एक महीने के भीतर हिसाब देना और प्रतिपूर्ति का दावा करने की जिम्मेदारी संकाय सदस्य की होगी।
20. निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि सीपीडीए के संपूर्ण प्रमाण और उसका कार्यान्वयन निष्पक्ष और पारदर्शी हो। सभी विदेश यात्राओं का विवरण संस्थान की वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए।

सभी व्यय भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार होने चाहिए।

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल– 462003
MAULANA AZAD NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY BHOPAL- 462003
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान)
(An Institute of National importance under Ministry of Education, Govt. of India)

क्रमांक:-........................ **फॉर्म-1** दिनांक : ....

सीपीडीए फण्ड से वित्तीय वर्ष (2024-25)/(2025-26)/(2026-27) में लाभ हेतु आवेदन
(3 वर्ष की ब्लॉक अवधि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2027 तक

नाम: ....पदनाम: ....जोयनिंग दिनांक: ....

कर्मचारी आईडी: .... विभाग: ....

एसबीआई बैंक खाता संख्या: ....मोबाइल: ....

क्रमांक.	सीपीडीए व्यय प्रमुख एवं निधि आवंटन	पहले का प्रतिपूर्ति राशि रुपये में.	बकाया राशि रुपये में.	प्रस्तावित राशि रुपये में.
1.	**क. पेपर एवं पोस्टर प्रस्तुति/उपस्थित/भागीदारी** 3 साल के ब्लॉक के लिए रु. 2,10,000/-। (केवल रु. 70,000/- प्रति वित्तीय वर्ष उपयोग के लिए उपलब्ध) नेशनल/ इंटरनेशनल सम्मेलन में पेपर प्रस्तुत करना/कार्यशाला/संगोष्ठी/विशेष प्रशिक्षण देश एवं विदेश में।			
2.	**ख. मेम्बरशिप फीस** (प्रमाण संलग्न करें) 3 साल के ब्लॉक के लिए रु. 30,000/- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक निकायों/सोसाइटियों की सदस्यता प्राप्त करना। एक ब्लाक अवधी में तीन सदस्यता ले सकते है |			
3.	**ग. आकस्मिक व्यय** 60,000 रुपये- 3 साल के ब्लॉक के लिए। (केवल रु. 20,000/- प्रति वित्तीय वर्ष उपयोग के लिए उपलब्ध)। **अ**- रु.10,000/- केवल पुस्तकों के लिए			
	ब- **रु. 10,000/- नीचे दी गई वस्तुओं के लिए** उपभोग्य सामग्रियों, लैब सामग्री, नमूना शुल्क, स्टेशनरी के लिए, कंप्यूटर उपभोग्य वस्तुएं जैसे भंडारण उपकरण, कार्ट्रिज ।			
4.	**घ. अन्य व्यय (विवरण फार्म - 3 में भरे)** (शीर्ष ख. एवं ग. के संचयी-शेष के बदले में) विभागाध्यक्ष एवं सक्षम प्राधिकारी की अनुशंसा के उपरान्त			
	कुल रुपये में>>>>			

नोट:- 1. सीपीडीए का अप्रयुक्त शेष अगले वित्तीय वर्ष के लिए 3 वर्ष के ब्लॉक अवधि के अंत तक आगे बढ़ाया जा सकता है।
2. क्रमांक 02 (ख.) को छोड़कर अगले वित्तीय वर्ष के सीपीडीए शेष के अग्रिम उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. बिल उसी वित्तीय वर्ष के लिए जमा करना होगा जिस वर्ष का सीपीडीए है।
4. बिल जमा करने की अंतिम समय सीमा वित्तीय वर्ष की 10 मार्च है और केवल जीएसटी बिल ही मान्य होंगे|
5. क्रमांक नंबर-3,4 के तहत खरीदी जाने वाली वस्तुओं का विवरण। (यानी नाम, मात्रा, कीमत)।
इस आवेदन पत्र का पिछला भाग में अंकित करे ऑडिट उद्देश्यों के लिए उचित स्टॉक रजिस्टर रखें।

आवेदक का हस्ताक्षर:____________

विभाग-अध्यक्ष हस्ता.:___________________________ **संकायाध्यक्ष (एफडब्ल्यू) हस्ता.**: ________________________

कार्यालय उपयोगार्थ:-

उप/सहायक रजिस्ट्रार (स्थापना):______________________ **उप./सहायक रजिस्ट्रार(लेखा)**:_________________________

रजिस्ट्रार हस्ता. :___________________________________ **निदेशक हस्ता. :**___________________________________

क्रम संख्या 3- अ के तहत पुस्तकों का खरीद विवरण (आकस्मिकता मद रु.10,000/-)

क्रमांक.	पुस्तकों का नाम	मात्रा	प्रति इकाई मूल्य	कुल राशि
1				
2				
3				
4				
5				
			कुल राशि रुपये में >>	

नोट:- केवल पुस्तकों की जानकारी के लिए |

आवेदक का हस्ताक्षर: _______________________

क्रम संख्या 3-ब के तहत खरीद विवरण (आकस्मिकता मद रु.10,000/-)

क्रमांक.	वस्तुओं का नाम	मात्रा	प्रति इकाई मूल्य	कुल राशि
1				
2				
3				
4				
5				
			कुल राशि रुपये में >>	

नोट:- केवल उपभोग्य सामग्रियों, लैब सामग्री, नमूना शुल्क, स्टेशनरी, कंप्यूटर उपभोग्य सामग्रियों जैसे भंडारण उपकरण के लिए|

आवेदक का हस्ताक्षर: _______________________

मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल -462003

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संसथान)

Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal- 462003

(An Institute of National importance under Ministry of Education, Govt. of India)

फॉर्म - 2

सी.पी.डी.ए निधि के अंतर्गत सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम/अनुसंधान यात्रा आदि में भाग लेने के लिए आवेदन प्रपत्र । 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2027 तक 3 साल की ब्लॉक अवधि के लिए।	
कर्मचारी का नाम	
पदनाम और जोयनिंग दिनांक	
विभाग /अनुभाग	
कार्यक्रम का नाम जिसमे भाग लेने कहते है	सत्र अध्यक्ष (सेशन चेयरमेन) / आमंत्रित वार्ता
	पेपर / पोस्टर प्रस्तुतकर्ता
	कार्यशाला / प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागी
	अन्य उल्लेखित करे
संस्थान /संगठन का नाम जिसमें आयोजन किया जाना है	
कार्यक्रम का शीर्षक	
कार्यक्रम का विवरण : जगह / शहर का नाम / देश का नाम	
	कार्यक्रम की दिनांक :.................................... तक ....
कार्यक्रम का विवरणीका	सलंग्रक -01
निमंत्रण स्वीकृति पत्र	सलंग्रक -02
पेपर की प्रति यदि आप पेपर प्रस्तुतकर्ता है	सलंग्रक -03
विभाग में सेमिनार की उपस्थिति की प्रति	सलंग्रक -04

सी.पी.डी.ए फंडिंग के तहत पिछले कार्यक्रमों में भाग लेने का विवरण	**वर्ष-2024-25**	**वर्ष-2025-26**	**वर्ष-2026-27**
1. सत्र अध्यक्ष (सेशन चैयरमेन)/ आमंत्रित वार्ता			
2. पेपर / पोस्टर प्रस्तुतकर्ता			
3. कार्यशाला / प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागी / संगोष्ठी			
4. अन्य (उल्लेखित करे)			
नोट : कृपया केवल अंक दर्ज करें			

अनुमानित व्यय	**राशि**
1. पंजीकरण शुल्क	
2.यात्रा में आने जाने का खर्चा -ट्रैन /हवाई जहाज	
3.होटल /आवास @ प्रतिदिन .... कुल दिन	
4.अन्य (उल्लेखित करें)	
कुल राशि	
मुख्यालय छोड़ने की अनुमति	दिनांक .... कुल दिन .... (पुरलग्न एवं अनुलग्न अवकाश शामिल नहीं किये जाये)

नोट : एक अकादमिक वर्ष में 15 दिवस से अधिक अवकाश की अनुमति नहीं दी जाएगी |

निशान लगाएं : पेपर प्रकाशित ☐ Scopus ☐ SCI ☐ SSCI ☐ SCIE ☐ WOS ☐ लागू नहीँ

आवेदक के हस्ताक्षर दिनांक सहित -

सम्मेलन टियर -I	हाँ	या	नहीं	विभागाध्यक्ष की अनुशंसा :
प्रासंगिकता -	हाँ	या	नहीं	विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

संकायाध्यक्ष (संकाय कल्याण):

निदेशक

मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल -462003
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal- 462003
(An Institute of National importance under Ministry of Education, Govt. of India)

फॉर्म - 3

सदस्यता शुल्क और आकस्मिक खर्चों के बदले अन्य खर्चों के लिए आवेदन पत्र (अर्थात 4 घ फार्म 1 से)
1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2027 तक 3 वर्ष की ब्लॉक अवधि के लिए।

आवेदक का नाम	
पद का नाम	
विभाग /अनुभाग	

सीपीडीए फण्ड (फॉर्म-1) के क्रम संख्या 2,3 के तहत किए गए व्यय का विवरण

गतिविधि		2024-25	2025-26	2026-27
1	सदस्यता शुल्क			
2	आकस्मिक व्यय			
कुल				

अन्य प्रस्तावित व्ययों का विवरण (4 घ फार्म -1)

वस्तुओं का विवरण		अनुमानित राशि	औचित्य
1			
2			
3			
4			
	कुल		

विभागाध्यक्ष की अनुशंसा

संकायाध्यक्ष (एफ डब्ल्यू)

निदेशक

CPDA Guideline Norms

REVISED NORMS/GUIDELINE FOR UTILIZATION OF CUMULATIVE PROFESSIONAL DEVELOPMENT ALLOWANCE(CPDA) IN NITS AND IIEST SHIBPUR AS A PART OF IMPLEMENTATION OF THE RECOMMENDATIONS OF 6 CPC & GOVERNMENT OF INDIA

Block Period: A. Duration of Block Period is Three Years.

B. One financial year shall be considered one year.

Grant Allocation: A. Rs. 3.00 Lacs for a block period of three years.

B. If a faculty member joins the Institute or retires from the Institute service in between a block period, he/she shall be entitled to this allowance on pro-rata basis.

LIST OF ACTIVITIES AND THE NORMS FOR INCURRING EXPENDITURE UNDER CUMULATIVE PROFESSIONAL DEVELOPMENT ALLOWANCE (CPDA):

A. Presenting of Papers in National & International Conferences/ Attending Workshops:

- Presentation of paper poster in National / International Conferences / Participation & attend Workshops /Symposia / Special training.

B. Membership Fee for Professional Bodies:

- Acquiring Membership of Professional Bodies / Societies, both National and International. Maximum memberships of three professional bodies/societies from CPDA grant in one block period.

C. Contingent Expenses

- Consumables such as chemicals, laboratory glassware, charges for synthesis & analysis of samples for pursuing research.
- Purchase of stationary, books & related items.
- Computer related consumables.

D. Other Expenses

- (In Lieu of cumulative balance of head B & C) subject to recommendation of HOD and the Approval from competent authority. These expenses will be related to research purpose /Activities.

GUIDELINES

1. Participation in National / International Conference / Workshops / Symposia / Special training programmes requires prior approval.
2. Normally, participation should be restricted to selected quality events and the Screening committee shall ensure that participation in the event will be beneficial to the institute.
3. Visits outside the institution is to be restricted to vacation periods only.
4. It is mandatory on the part of the faculty members to deliver a seminar in the department prior to participation in any National / International Conferences.

5. Post event presentation is to be made in the department and submit a report (from participating in National / International Conferences/ Workshops / Symposia) along with the bills for account settlement.
6. Institute norms will be applicable for TA/DA. The total expenditure towards all items under the Category A such as TA/DA, registration fee, Visa fee etc. for participating in National/International Conferences /Workshops/Symposia and visits for research interactions shall be up to a maximum of 70% of the CPDA (i.e., Rs.2.1 Lakhs) for the three year period.
7. The faculty members who are on deputation/QIP/leave (beyond 30 days) are NOT entitled for claiming reimbursement under the CPDA funds during their absence from the institute.
8. The Director shall be responsible for encouraging all the faculty to utilize the budget sanctioned under CPDA to each of them in an effective way so as to promote their academic performance.
9. All regular faculty members who have cleared their probation period shall be eligible for the grant. If a faculty member joins the institute or retires from the institute service/leaves the institute (resignation or deputation or any other reason) in between a block period, the faculty member shall be entitled for this allowance on pro-rata basis.
10. The amount sanctioned shall be on reimbursable basis.
11. Only one third of the amount sanctioned over a block period shall be made available during each year of the block period of 3 years. Any unutilized amount shall be rolled over to the next year and the remaining amount sanctioned during the third year.
12. Amount set aside for each year of the block period shall not be paid in advance.
13. The actual amount received during a block period shall be equally earmarked for all eligible faculty members.
14. Prior approval shall be taken for any expenditure under this grant.
15. A CPDA Committee and HODs shall scrutinize the applications submitted to ensure that the conference is of Tier 1 level, the paper presented is related to the work carried in the respective institute and the claims made are in order. The institute may co-opt an external member.
16. Admissible expenditure shall include actual travel expenditure by economy class by shortest route following Government of India norms.
17. Foreign travel for attending conferences shall be strictly limited to the period of conference and shall be entertained during vacation period ensuring teaching is not affected.
18. Any expenditure incurred towards participation in a conference including registration fee paid shall not be reimbursable if the faculty fails to attend the conference for any reason.
19. The faculty shall be responsible for submitting the accounts and claiming reimbursement within a month after participation in the conference / expenditure incurred under various categories.
20. The Director will ensure that the entire proves of CPDA and its implementation is fair and transparent. The details of all traveling abroad should be placed on the website of the Institute.

All Expenditure must be strictly as per Government of India norms.

मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल -462003
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संसथान)
MAULANA AZAD NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BHOPAL- 462003
(An Institution of National importance under Ministry of Education, Govt. of India)

No. : -………………………………… **FORM- 1** Date: ………………………

Application for Availing CPDA for the F.Y. (2024-25)/(2025-26)/(2026-27) of 3 Years Block Period from 1st April 2024 to 31st March 2027

Name: ……………………………………………………………………Designation:………………………DoJoining:…………………………………

Employee ID:……………………………………………………..Department:……………………………………………………………………………

SBI Bank Account no:……………………………………………………………………Mobile:…………………………………………………………

S. No.	CPDA Expenditure Head & Fund Allocation		Balance Amount in Rs.	Proposed Amount in Rs.
1.	**A. Paper & poster Presentation/ Attend/ Participation** **Rs.2,10,000/- For 3 Years Block.** **(Only Rs.70,000/- Per Financial Year Available For Use)** Presenting papers in National/International Conference/workshop/Symposia/Special Training in India and Abroad.			
2.	**B. Membership Fee (Attach Proof)** **Rs.30,000/- For 3 Years Block.** Acquiring Membership of Professional Bodies/Societies National/International (Maximum memberships of three Professional Bodies/Societies grant in one Block Year).			
3.	**C. Contingent Expenses** **Rs.60,000- For 3 Year Block.** **(Only Rs.20,000/- Per Financial Year Available For Use).** **a)- Rs.10,000/- For Books Only**			
	b)-Rs.10,000/-For Below Items. For Consumables, Lab Materials, Sample Charges, Stationery, Computer consumables such as storage device, cartridges.			
4.	**D. Other Expenses (Give details in Form-3)** (In lieu of cumulative balance of Head B & C) after recommendation of HOD and competent authority			
	Total in Rs.>>>>			

Note:-
1. Unutilized Balance of CPDA may carry forward for next financial year up to end of 3 years block Period.
2. Advance utilization of CPDA balance of next financial year shall **not** be allowed except for **Sl. No-02 .**
3. Bills have to be submitted for the same financial year of which CPDA belongs.
4. The last deadline of submission of bills are 10th March of the financial year & only GST bills are to be considered.
5. Kindly mention the details of items to be procured under Sl. No-3,4 (i.e. Name, Qty, Price) at back side of this application form. Keep proper stock register for audit purposes.

Applicant Sign:____________________

HOD Sign: ______________________Dean(FW) Sign:________________

For Office Use:-

Dy./Asst. Registrar (Estt.):________________________Dy./Asst. Registrar (A/cs.):_______________________

Registrar Sign:_______________________________________Director Sign:___________________________

Procurement details only for Book Under Sl.No.3-A (Contingency Head Rs.10,000/-)

Sr. No	Name of Book	Quantity	Price Per Unit	Total Amount
1				
2				
3				
4				
5				
			Total Amount Rs.	

Note:-Only for book details.

Applicant Sign:___________________

Procurement Details Under Sl.No.3-B (Contingency Head Rs.10,000/-)

Sr. No	Name of Items	Quantity	Price Per Unit	Total Amount
1				
2				
3				
4				
5				
			Total Amount Rs.	

Note:-Only For Consumables, Lab Materials, Sample Charges, Stationery, Computer consumables such as storage device, cartridges.

Applicant Sign:___________________

मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल -462003

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संसथान)

Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal- 462003

(An Institute of National importance under Ministry of Education, Govt. of India)

FORM-2

Application form for attending Seminar/ Conferences/ Workshop/ Training Program/Research Visit etc. under CPDA fund. For 3 years block period from 1st April 2024 to 31st March 2027.

Name of Applicant	
Designation & Date of Joining	
Department/ Section	
Participation in program as	Session Chair/ Invited Talk
	Paper/ Poster presenter
	Participant in Workshop/ Training program/Symposium
	Other (specify)
Name of organizing Institute/ organization	
Title of Program	
Details of Program: Venue, City & Country	
Date of Program	From…………to………...
Brochure of program	Enclosure 01
Invitation/ Acceptance letter	Enclosure 02
Copy of Paper (if paper presenter)	Enclosure 03
Copy of attendance of seminar in Department	Enclosure 04

Details of previous attended programs with CPDA funding as		2024-25	2025-26	2026-27
1	Session Chair / Invited Talk			
2	Paper presenter/ Poster presenter			
3	Participant in Workshops/ Training program/Symposium			
4	In any other capacity (specify)			
Note: kindly enter numeric numbers only. In case of nil enter NIL				

Expected Expenditure		Amount
1	Registration Fees	
2	To and for travel – Train/ Air	
3	Hotel/ Accommodation @ per day …….for ....days	
4	Any other (specify)	
	Total	

Permission to leave headquarter	Date: Days: Holidays prefix / Suffix not included
Note : In one academic year not more than 15 days leave is permitted	

Please tick: Paper Published ☐ Scopus ☐ SCI ☐ SSCI ☐ SCIE ☐ WOS ☐ NA

Signature of Applicant with date

Conference Tier- **I**	YES	or	NO	Recommendation of HOD:
Relevance to area-	YES	or	NO	Signature of HOD

Dean (FW)

Director

मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल -462003
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संसथान)
Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal- 462003
(An Institute of National importance under Ministry of Education, Govt. of India)

FORM - 3

Application form for other expenses in lieu of membership fee & contingency expenses (i.e 4D of Form -1)
For 3 years block period from 1st April 2024 to 31st March 2027.

Name of Applicant	
Designation	
Department/ Section	

Details of Expenditure made under S.No.2,3 of (FORM-1) CPDA fund

Activity		2024-25	2025-26	2026-27
1	Membership Fee			
2	Contingency Expenses			
Total				

Details of other proposed expenditures (4D Form-1)

Details of items		Estimated Amount	Justification
1			
2			
3			
4			
	Total		

Recommendation of HOD

Dean (FW)

Director